


फर्द अहकाम

बनाम

लिय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>आधिकारी का निर्णय दिनांक २२/२/१७ की क्रियावन्ती अगामी तारीख तक स्थगित की जाकर न्यायालय की पत्रावली तत्पश्चात् आदेश जारी किए गए। इस प्रार्थना का प्रावधान ग्राह्य स्पष्ट रूप से ही राजस्व मंडल अधिनियम १९५३ के कारण एवं उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहने के कारण अब पुनः द्वितीय स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना का प्रा. पत्र इस स्तर पर ही आरिज किया जाता है। पत्रावली वाद तहसील दायित्व दफ्तर ही।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, बाकसू (राजसू) </p>	